

बिहार सरकार

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू-अभिलेख एवं परिमाण निदेशालय)आदेश

बंदोबस्त पदाधिकारी, नालंदा के पत्रांक 420 दिनांक 05.12.2022 के द्वारा श्रीमती स्वेता कुमारी, विशेष सर्वेक्षण अमीन (AEN03419) के दिनांक 02.05.2022 से 29.10.2022 तक कुल 181 दिनों के मातृत्व अवकाश की स्वीकृति हेतु अनुशंसा उपलब्ध करायी गयी है।

बंदोबस्त पदाधिकारी, नालंदा द्वारा प्राप्त अनुशंसा के समीक्षा की गयी। समीक्षोपरांत चूंकि निदेशालय आदेश संख्या 685 दिनांक 17.03.2022 द्वारा निर्गत अवकाश संबंधी प्रावधान में मातृत्व अवकाश 180 दिन ही देय है, अतः निर्गत प्रावधान के आलोक में श्रीमती स्वेता कुमारी, विशेष सर्वेक्षण अमीन (AEN03419) को दिनांक 02.05.2022 से 28.10.2022 तक कुल 180 दिनों के मातृत्व अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

Signed by Jai Singh

Date: 25-02-2023 12:24:35

निदेशक

भू-अभिलेख एवं परिमाण

प्रतिलिपि :-

1. बंदोबस्त पदाधिकारी, बंदोबस्त कार्यालय, नालंदा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
2. संबंधित विशेष सर्वेक्षण अमीन को सूचनार्थ प्रेषित।
3. श्रीमती सरीता कुमारी, प्रोग्रामर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।